राजस्व लोक अदालत 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट– श्री उदयभानू चारण(आर.ए.एस.)
कैम्प–मेवानगर दिनांक:– 19.5.16

मुकदमा सं0 –86/2015

वादीगण

1. जेठाराम पुत्र पुनमाराम जाति भील
2. श्रीमती धुडीदेवी पत्नी जेठाराम जाति भील

निवासी कितपाला तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पारसराम पुत्र धुडीया जाति भील
2. तुलसाराम पुत्र धुडीया जाति भील
3. उतमाराम पुत्र धुडीया जाति भील
4. ईशाराम पुत्र धुडीया जाति भील
5. सोगा बेवा धुडीया जाति भील
6. पोकर पुत्र चौथाराम जाति भील
7. डलाराम पुत्र मिसराराम जाति भील
8. गंगा पुत्री हरजीराम जाति भील
9. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

<u>दावा बाबत बंटवारा(तकासमा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 53, (कृषि क्षैत्र का विभाजन) रा0का0अ0 1955</u>

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मेवानगर में पेश हुई । वाद के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सह संयुक्त सामलाती भूमि खसरा सं0 315रकबा 72.02 बीघा सरहद मौजा मेवानगर में आई हुई है। जिसमें वादीगण का 52.11 बीघा हिस्सा कब्जा कास्त का है। प्रतिवादीगण मय कतिपय असामाजिक तत्वों के गलत सिखावे में आ कर वादीगण के कब्जा कास्त की भूमि में दखल हस्तक्षेप की मंशा रखते है। अतः वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुआ जिसमें पक्षकारान ने उपस्थित हो कर आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने के कारण पक्षकारान के मध्य तनाजा रहता है। पक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर आपसी समझाईश के आधार पर राजीनामा प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सुलह हो चुकी है एवं पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर खसरा सं0 315 रकबा 72.02 बीघा सरहद मौजा मेवानगर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाता है। मौके का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से मंगाया जाये । प्राथमिक डिक्री जारी हो । खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

19/5/16
(उदयभानु चारण)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner